Rcms / 00197

मिसल नं० 92/2016 रमेश आत्मज रतना जाति माली निवासी कनवास तहसील कनवास जिला कोटा बनाम छोटूलाल आ० राधाकिशन जाति खटीक निवासी कनवास तहसील कनवास मृतक कायम मुकामान वेणी राम आ० छोटूलाल व नरेन्द्र आत्मज छोटूलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4-12-19	वकील अपीलान्ट उपस्थित । रेस्पो० अनुपस्थित । दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा जाहिर किया कि उक्त अपील न्यायालय तहसीलदार कनवास धारा 183 (बी) राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत विचाराधीन प्रार्थना पत्र मे दिनांक 19.02.2016 को अपीलान्ट के विरूद्व की गई इकतरफा कार्यवाही के विरूद्व पेश की गई । उक्त आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान मे अजमेर मे निगरानी प्रस्तुत करनी चाहिए थी जो सहवन से इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत हो गई है । वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । न्यायालय तहसीलदार कनवास धारा 183 (बी) राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत विचाराधीन प्रार्थना पत्र मे दिनांक 19.02.2016 को अपीलान्ट के विरूद्व की गई इकतरफा कार्यवाही के विरूद्व पेश की गई । जो इस न्यायालय के क्षवणाधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नही आने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अपीलार्थी न्यायालय तहसीलदार कनवास जिला कोटा के आदेश दिनांक 19.02.2016 के विरूद्व सक्षम न्यायालय मे निगरानी प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो । अति० जिला कलक्टर कोटा	